



# बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004

Website-www.biadabihar.in ,Email- biada@rediffmail.com Phone: 0612-2675998/2675991/2675889 (Fax)

## कार्यालय आदेश

बियाडा के निदेशक पर्सद की 50वीं बैठक दिनांक 07.03.2017 के कार्यावली संख्या-4 में लिये गये निर्णय के आलोक में प्राधिकार में निम्नांकित प्रावधान को लागू करने की स्वीकृति दी जाती है -

बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131 ग के तहत अधिकतम 15,000.00 रुपये मात्र तक सामग्रियों के क्रय बिना किसी बीड या कोटेशन पर किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए सक्षम पदाधिकारी का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में मान्य है।

बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131घ के तहत अधिकतम 50,000.00 रुपये मात्र तक सामग्रियों के क्रय हेतु तीन सदस्यीय कमिटी गठित कर बाजार सर्वे के आधार पर सामग्रियों का क्रय किए जाने के प्रावधान है।

बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131 ग के प्रावधान में प्रयुक्त अंक, कोष्टक एवं शब्द “₹15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) मात्र” को अंक कोष्टक एवं शब्द “₹50,000/- (पच्चास हजार रुपये) मात्र” द्वारा तथा नियम-131घ के प्रावधान में प्रयुक्त अंक, कोष्टक एवं शब्द “प्रत्येक अवसर पर ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) मात्र से अधिक तथा ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र तक” को अंक, कोष्टक एवं शब्द “प्रत्येक अवसर पर ₹50,000/- (पच्चास हजार रुपये) मात्र से अधिक तथा ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये) मात्र तक” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

ज्ञापांक :- 2389/A/73/H.K/BIADA/2015

दिनांक :- 08/05/17

प्रतिलिपि:- कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/भागलपुर/वरीय लेखा पदाधिकारी, बियाडा/प्रभारी हाउस कीपिंग, बियाडा, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-जनसम्पर्क पदाधिकारी, बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

o/c

08.05.17

सचिव

08.05.17

सचिव